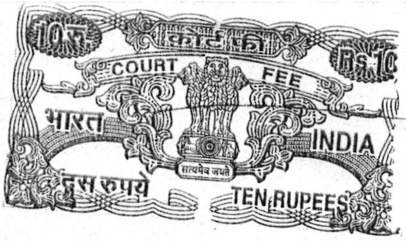

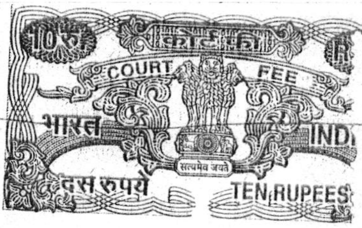

PBR/निगरानी/हरदा/भू०रा०/2017/1766 (103)

न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक — /2017

दिनेश चन्द आत्मज मूल चन्द्र, आयु— वयष्क,

निवासी— तहसील व जिला— हरदा म0प्र0

..............निगरानीकर्ता

दिनांक 15-6-17 को श्री राजेन्द्र पंचाल मार्फत द्वारा प्रस्तुत

15-6-17 SO

बनाम

1. जसोदा बाई वेवा हृदयाराम गुर्जर
2. शांति बाई पत्नी श्री संतोष गुर्जर

   दौनो आयु वयष्क, निवासी— ग्राम— उड़ा

   तहसील व जिला— हरदा म0प्र0
3. सौरभ फलके आयु— वयष्क, निवासी— ग्राम

   उड़ा, जिला— हरदा म0प्र0
4. म0प्र0 शासन

..........उत्तरदाता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जिला— हरदा द्वारा प्रकरण कमांक 198/बी—121/2014—15 में पारित अंतरिम आदेश/प्रतिवेदन दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर न्यायदान हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा./2017/1766

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–6–2017	आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र पंचाल, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के जिस पत्र दिनांक 6–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिससे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निवर्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत दिये गये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं कॉलौनी विकास की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन आवेदक द्वारा किया जाना पाते हुए कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया गया है, जो प्रशासकीय पत्राचार की श्रेणी का है। जिसके विरूद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	